

38



## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक-

/2014/निगरानी R-2965-11/14

हर्चरण 29.11.14 को माला श्री  
हर्चरण सिंह, सप्ल गद्ये प्रथमे  
समक्ष श्री के. हर्चरण सिंह को  
काय प्रस्तुत।

*[Signature]*  
5.9.14

*[Signature]*  
6/9/14

प्रजेन्द्र सिंह यादव  
*[Signature]*  
5/9/14

1. हरचरण पुत्र मन्नु रावत
2. पुरुषोत्तम पुत्र मन्नु रावत
3. शिव कुमार पुत्र हरचरण रावत
4. सालिक राम पुत्र हरचरण रावत
5. गजराज पुत्र हरचरण रावत
6. महेश पुत्र हरचरण रावत
7. मुंशी पुत्र बंदी रावत
8. मुकेश पुत्र बंदी रावत
9. बंदर पुत्र बंदी रावत
10. अखेराज पुत्र महाराज सिंह रावत
11. मुरारी पुत्र महाराज सिंह रावत
12. लखन पुत्र महाराज सिंह रावत
13. बीरू पुत्र लालाराम रावत
14. दिनेश पुत्र लालाराम रावत
15. बबलू पुत्र श्रीलाल रावत
16. नन्दकिशोर पुत्र अखेराज रावत
17. लालाराम पुत्र लोसइया रावत
18. बृजेश पुत्र लखन रावत
19. रामसेवक पुत्र मुंशीलाल रावत

*[Signature]*

11211

20. दौलतराम पुत्र मुंशीलाल रावत  
समस्त निवासीगण-ग्राम रामबतई,  
तहसील व जिला शिवपुरी म०प्र०
21. मोहर सिंह पुत्र रामजीलाल रावत
22. पप्पू उर्फ वासदेव पुत्र रामजीलाल
23. अरविन्द पुत्र पप्पू उर्फ वासदेव
24. करुआ पुत्र मोहर सिंह रावत  
निवासीगण-मानकबसई, तहसील व  
जिला शिवपुरी म०प्र०

-----आवेदकगण

बनाम

श्रीमती रामप्यारी पत्नी श्री प्रताप  
रावत, निवासी-ग्राम मोहम्मदपुर  
तहसील व जिला शिवपुरी म०प्र०

-----अनावेदिका

आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०-भू-राजस्व संहिता  
1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 04.09.2014 पारित न्यायालय  
नायब तहसीलदार टप्पा सुभाषपुरा तहसील शिवपुरी जिला  
शिवपुरी म०प्र० प्रकरण क्रमांक-18/13-14/अ-70  
माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से आवेदन-पत्र निम्न प्रकार

प्रस्तुत हैं:-



- 1- यहकि, अनावेदिका द्वारा भूमि सर्वे नम्बर-545, 546,  
592, 593, 611, 623, 650 किता-7 रकवा  
2.060 हैक्टेयर पर आवेदकगणों द्वारा अवैध कब्जा

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-2965-तीन / 2014

जिला-शिवपुरी

हरचरण आदि विरुद्ध रामप्यारी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमाषकों के हस्ताक्षर
7-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी नायब तहसीलदार टप्पा सुभाषपुरा, तहसील शिवपुरी, जिला-शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 18/2013-14/अ-70 में पारित आदेश दिनांक 04-09-2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 09-09-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p></p> <p> (जे०के० जैन) सदस्य</p>	